न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 1020/2020

अनवान : –

1. विनोद कुमार पुत्र प्रयागचन्द जाति ब्राहमण निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **असल प्रतिवादी**

2. बाबुलाल पुत्र प्रयागचन्द जाति ब्राहमण निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर।
3. महावीर प्रसाद पुत्र प्रयागचन्द जाति ब्राहमण निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर।
4. रमेश कुमार पुत्र अलखचन्द जाति ब्राहमण निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर।
5. रमेश कुमार पुत्र प्रयागचन्द जाति ब्राहमण निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर।

– **तरतीबी प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त० अधि० 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय

दिनांकः 30/04/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता सं. 82/78 के ख.न. 20 की 7.7900 हैक्टर भूमि स्थित थी। जिसमें बाबुलाल, महावीर प्रसाद, विनोद कुमार, रमेश कुमार पि. प्रयागचन्द 1/2 हिस्सा, अलखराम पुत्र आईदान जाति ब्राहमण 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता सं. 82/78 के ख.न. 20 की 7.7900 हैक्टर भूमि में से चारणवासी माईनर व सब माईनर्स में गै.मु. नहर में 0.784 हैक्टर भूमि अवाप्त कर ली गई तथा चारणवासी माईनर में अवाप्त होने के बाद 7.0060 हैक्टर भूमि रही जिसमें वादी अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 5 अकेला 1/8 हिस्सा, के खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता सं. 82/78 के ख.न. 20 की 7.7900 हैक्टर भूमि में जरिये इतकाल संख्या 304 दिनांक 03.09. 2001 को जरिये हुक्मन चारणवासी व सब माईनर्स गै.मु. नहर में ख.न. 120/1 की 0.784 हैक्टर भूमि अवाप्त कर ली गई। जबकि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के खेत में कोई नहर व खाला तक नहीं है। तथा वादी के खेत से करीब दो खेत छोड़कर नहर स्थित है तथा वादी के नाम से कभी भी नहर से भूमि अवाप्ति सम्बधी कोई अवार्ड पारित नही [illegible] तथा ना ही नहर से अवाप्त भूमि सम्बंधित किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा प्राप्त किया [illegible] इसलिए वादी नहर में अवाप्त भूमि को संशोधित करवाकर अपने नाम व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:03:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादी सं. 1 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा जिसमें भी पटवारी हल्का से रिर्पोट प्राप्त की गई तथा रिपॉट में स्पष्ट अंकन हे कि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के खेत में कोई नहर नहीं निकली है। तथा ना ही वर्तमान मे कोई नहर निकली हुई है। इसलिए रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता सं. 82/78 के ख.न. 120 की 0.784 हैक्टर भूमि जो कि चारणवासी माईनर व सब माईनर गै.मु. नहर में अवाप्त की गई थी। को पुनः वादी व तरतीबी प्रतिवादी के खाते में जोडी जावे तथा चारणवासी माईनर सब माईनर गै.मु. नहर में से कम की जाकर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किया जावें इसलिए रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता सं. 90/89 के ख.न. 413/120 की 7.0060 हैक्टर भूमि जगह चारणवासी माईनर व सब माईनर में गै.मु. नहर में से 0.784 हैक्टर भूमि कम की जाकर खाता संख्या 4/13 के ख.न. 120 की 7.7900 हैक्टर भूमि में वादी अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 5 अकेला 1/8 हिस्सा, के खातेदार है इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवापाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई की जिसके अनुसार ढाणी चारनान के ई.न. 304 दिनांक 3/9/21 से ख.न. 120 की 7.79 है. भूमि में से 0.784 हे. भूमि ख.न. 120/1 चारणवासी माइनर व सब माइनर गैर मुम. नहर के नाम दर्ज हुई व शेष ख.न. 120/2 रकबा 7.006 हे. खातेदार के नाम दर्ज रही। वर्तमान में ख.न. 120/1 के बजाय 413/120 व ख.न. 120/2 के बजाय 412/120 दर्ज है मौके पर इन खसरो में कोई माइनर या नहर नहीं है व खातेदारान के कब्जा काश्त में है।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता सं. 82/78 के ख.न. 20 की 7.7900 हैक्टर भूमि में जरिये इतकाल संख्या 304 दिनांक 03.09. 2001 को जरिये हुक्मन चारणवासी व सब माईनर्स गै.मु. नहर में ख.न. 120/1 की 0.784 हैक्टर भूमि अवाप्त कर ली गई। जबकि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के खेत में कोई नहर व खाला तक नहीं है। तथा वादी के खेत से करीब दो खेत छोड़कर नहर स्थित है तथा वादी के नाम से कभी भी नहर से भूमि अवाप्ति सम्बधी कोई अवार्ड पारित नही हुआ है तथा ना ही नहर से अवाप्त भूमि सम्बंधित किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा प्राप्त किया गया है। इसलिए वादी नहर में अवाप्त भूमि को संशोधित करवाकर अपने नाम व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करवापाने का अधिकारी है। अतः वादी का वाद डिक्री किया जावे।

हमारे द्वारा अभि[illegible] किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया [illegible] रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खा[illegible] 20 की 7.7900 हैक्टर भूमि स्थित थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:03:51 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जिसमें बाबुलाल, महावीर प्रसाद, विनोद कुमार, रमेश कुमार पि. प्रयागचन्द 1/2 हिस्सा, अलखराम पुत्र आईदान जाति ब्राहमण 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता सं. 82/78 के ख.न. 20 की 7.7900 हैक्टर भूमि में से चारणवासी माईनर व सब माईनर्स में गै.मु. नहर में 0.784 हैक्टर भूमि अवाप्त कर ली गई तथा चारणवासी माईनर में अवाप्त होने के बाद 7.0060 हैक्टर भूमि रही जिसमें वादी अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 5 अकेला 1/8 हिस्सा, के खातेदार काश्तकार है। वादी द्वारा गैमु0 नहर की भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने हेतु यह वाद पेश किया गया है। तहसीलदार नोहर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट की अनुसार ाणी चारनान के ई.न. 304 दिनांक 3/9/21 से ख.न. 120 की 7.79 है. भूमि में से 0.784 हे. भूमि ख.न. 120/1 चारणवासी माइनर व सब माइनर गैर मुम. नहर के नाम दर्ज हुई व शेष ख.न.120/2 रकबा 7.006 हे. खातेदार के नाम दर्ज रही। वर्तमान में ख.न. 120/1 के बजाय 413/120 व ख.न. 120/2 के बजाय 412/120 दर्ज है मौके पर इन खसरो में कोई माइनर या नहर नहीं है व खातेदारान के कब्जा काश्त में है लेकिन वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सिंचाई विभाग गै0मु0 चारणवालीमाईनरसबमाईर्नस के नाम दर्ज है एवं वादी द्वारा इनकों पक्षकार ही नही बनाया गया है अत आवश्यक पक्षकारों के अभाव में वादी का वाद संधारण योग्य नही है। अत वाद वादी संधारण योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

अतः वाद वादी संधारण योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक ....30/04/26.... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:03:51 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 1020/2020
अनवान : –

1. विनोद कुमार पुत्र प्रयागचन्द जाति ब्राहमण निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– असल प्रतिवादी

2. बाबुलाल पुत्र प्रयागचन्द जाति ब्राहमण निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर।
3. महावीर प्रसाद पुत्र प्रयागचन्द जाति ब्राहमण निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर।
4. रमेश कुमार पुत्र अलखचन्द जाति ब्राहमण निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर।
5. रमेश कुमार पुत्र प्रयागचन्द जाति ब्राहमण निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1020 सन 2020 निर्णय दिनांक 30/04/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/04/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul.
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:03:51 IST
Reason: SelfAttested